आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
14.12.2018		

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-19/2017

1. मैमुन निशां, पति-मो0 अलीमुद्दीन, सा0-जाबे, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भवानीपुर।
3. साहीन खातून, पति-मो0 अमरूद्दीन, सा0-जाबे, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया।

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-1485/जि0प्रो0, दिनांक-01.11.17** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द सं0-163, पंचायत-जाबे, परियोजना-भवानीपुर** के **सेविका** पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र में कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है, जबकि वे परित्यक्ता हैं। अपीलार्थी का चयन इस आधार पर नहीं किया गया कि वे वार्ड नं0-09 की निवासी नहीं हैं। जबकि अपीलार्थी वार्ड नं0-09 की निवासी हैं तथा उनका घर मौजा-जावे, खाता सं0-196, खेसरा सं0-434 पर अवस्थित है, जिसका निवास प्रमाण-पत्र भी निर्गत है। **BLO** की गलती से वार्ड नं0-09 के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आया है। अत्एव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील आवेदन स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी सं0-03 के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलार्थी का घर वार्ड नं0-09 में नहीं है। बल्कि वार्ड नं0-10 में अवस्थित है। अत्एव अपील आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के पत्रांक 1646/जि0प्रो0 दिनांक 27.11.17 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र प्रखण्ड-भवानीपुर के पंचायत-जाबे के वार्ड नं0-09 से संबंधित है। अपीलार्थी का नाम वर्ष 2016 के मतदाता सूची अंतर्गत वार्ड नं0-09 में दर्ज नहीं है। विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में अभ्यर्थी या उनके पति/ससूर का नाम दर्ज रहना आवश्यक है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन, विपक्षी सं0-03 से प्राप्त कारणपृच्छा तथा प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं0-09 के पंचायत निर्वाचन 2016 के मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में अपीलार्थी चयन की योग्यता नहीं रखते हैं। अपीलार्थी द्वारा भी अपने अपील आवेदन में स्वीकार किया गया है कि उनका नाम वार्ड नं0-09 के मतदाता सूची में नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप के आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 1485/जि0प्रो0 दिनांक 01.11.17 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भवानीपुर एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।